

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश,द्वितीय,सह विशेष न्यायाधीश,उत्पाद,समस्तीपुर।

रोसड़ा थाना काण्ड सं० 418/19,कम्प्यूटर निबंधन सं० 1531/19

10.01.20

आवेदक 1. मोनी पासवान उर्फ मोहन पासवान, जो रोसड़ा थाना काण्ड सं० 418/19, धारा-272, [273/34](#) भा०द०वि० एवं धारा-30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि० 2016 के अन्तर्गत अभियुक्त है, की ओर से आत्मसमर्पण सह जमानत आवेदन साथ वकालतनामा के दाखिल किया गया। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन पर विद्वान वि० लोक अभि० थाना से केसडायरी एवं आपराधिक इतिहास की मांग करें। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए दिनांक 17.1.20 को उपस्थापन आदेश के साथ मण्डल कारा,समस्तीपुर प्रतिप्रेषित किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्या०-2

सह वि० न्या० उत्पाद